भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3381

31 मार्च, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: खेती छोड़ चुके किसानों का सर्वेक्षण

3381. श्री जावेद अली खान:

श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी के बाद ऐसे किसानों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है जिन्होंने अपनी उपज के लिए कम कीमत मिलने के कारण खेती छोड़ दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं

(घ) क्या सरकार उनकी सही संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराएगी ताकि किसान-हितैषी नीतियां लागू की जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी समय-सीमा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (च): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के बाद उनके उत्पादों के लिए अलाभकारी कीमतों के कारण खेती छोड़ देने वाले किसानों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। हालाँकि, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) अप्रैल 2017 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आयोजित कर रहा है ताकि वार्षिक आधार पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामान्य और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में रोज़गार और बेरोज़गारी के संकेतकों का अनुमान लगाया जा सके। पीएलएफएस (जुलाई, 2021 - जून, 2022) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सामान्य स्थिति में संलग्न श्रमिकों का प्रतिशत वितरण निम्नानुसार है:

वर्ष	कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सामान्य स्थिति में संलग्न श्रमिकों का वितरण (%)
2019-20	45.6
2020-21	46.5
2021-22	45.5

सरकार ने किसानों को उच्च आय प्राप्त कराने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कई नीतियों, सुधारों, विकासपरक कार्यक्रमों और योजनाओं को अपनाया और कार्यान्वित किया है। इनमें शामिल है:

(i) पीएम-किसान के तहत प्रतिवर्ष तीन समान किश्तों में 6000 रुपये का अनुपूरक आय अंतरण।
(ii) उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा सुनिश्चित करते हुए सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि,
(iii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत फसल बीमा,
(iv) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत सिंचाई तक बेहतर पहुंच,
(v) 100,000 करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के माध्यम से अवसंरचना निर्माण पर विशेष बल।
(vi) एफसीआई प्रचालनों के अतिरिक्त पीएम-आशा के तहत नई खरीद नीति,
(vii) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), कृषि फसलों के अतिरिक्त डेयरी और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी उत्पादन ऋण प्रदान करता है,
(viii) 10,000 एफपीओ का गठन और विकास,
(ix) राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए कार्यनीतियों को विकसित और कार्यान्वित करना है।
(x) कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों को अपनाना जिसमें भारतीय कृषि में क्रांति लाने की क्षमता है।
(xi) कृषि मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर ध्यान देना।
(xii) आदान लागत को कम करने के लिए किसानों को रियायती मूल्य पर उर्वरक की आपूर्ति।

*****